भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *163

गुरूवार, 03 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

रोजगार सृजन का स्वतंत्र आकलन

***163. डा. अशोक कुमार मित्तलः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अब तक 1.25 करोड़ नौकरियों के सृजन का सत्यापन करने के लिए कोई स्वतंत्र आकलन किया है;

(ख) क्या मंत्रालय के पास उन क्षेत्रों और उद्योगों से संबंधित विस्तृत आंकड़े हैं जिनमें इस अवधि के दौरान सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है जिसमें मजदूरी का स्तर, रोजगार सुरक्षा और कौशल संबंधी आवश्यकताएं जैसे कारक शामिल हों; और

(घ) क्या मंत्रालय, सभी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, औपचारिक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और अनौपचारिक तथा अनिश्चित कार्य व्यवस्थाओं को रोकने के लिए उपाय कर रहा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

******

"रोजगार सृजन का स्वतंत्र आकलन" के संबंध में डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 03.08.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): वर्ष 2014-15 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 15.84 करोड़ थी जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 27.73 करोड़ हो गई है। इसके साथ-साथ, पेंशनभोगियों की संख्या भी वर्ष 2014-15 में 51.04 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 72.73 लाख हो गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2017 से अपना मासिक पे-रोल डेटा प्रकाशित कर रहा है जिससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगारों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। देश में ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि, वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 122.3 लाख और वर्ष 2022-23 के दौरान 138.5 लाख थी।

श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) से क्रमबद्ध तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस (जनवरी-मार्च, 2022) से यह जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था के इन नौ क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.18 करोड़ हो गया, जबकि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ था जो कि 34% वृद्धि को दर्शाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वर्ष 2017-18 से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र करता है। नौकरियों की गुणवत्ता और इसकी स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए पीएलएफएस सर्वेक्षण, रोजगार की स्थिति, काम के घंटे, प्रति घंटा आय, काम के अतिरिक्त घंटे, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त श्रमिकों की संख्या, भुगतान की गई छुट्टियां, लिखित नौकरी अनुबंध आदि पर भी आंकड़े एकत्र करता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित प्रतिशत वितरण **अनुबंध** में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह अत्यधिक वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां इस पैकेज में शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 18 जुलाई, 2023 तक, इस योजना के तहत 60.44 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म एवं लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें और अधिक समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। इस पहल को सात घटकों जैसे कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा गति मिलती है। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित होती है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होते हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

सरकार ने वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, नामक चार श्रम संहिताएं लागू की हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, इनके कई प्रावधानों के माध्यम से सम्मान जनक तरीके से कार्यबल की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से है जैसे कि सभी श्रमिकों को समय पर वेतन का भुगतान करना , नियुक्ति पत्र का प्रावधान करना और श्रमिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी प्रावधान उपलब्ध करवाना आदि हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 03.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित वितरण (% में)।

क्र. सं.	**एनआईसी-2008 के अनुसार व्यापक उद्योग-वार**	**2021-22**
1	कृषि	45.5
2	खनन एवं उत्खनन	0.3
3	विनिर्माण	11.6
4	बिजली, पानी, आदि.	0.6
5	निर्माण	12.4
6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.6
8	अन्य सेवाएं	11.9
	योग	**100**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई